UPBB010080422025

न्यायालयः अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट नं०–01, बाराबंकी।

उपस्थितः विनय कुमार सिंह–III (उच्चतर न्यायिक सेवा)
JO Code-UP 6068

नियमित दीवानी अपील संख्या–83/2025

1–बाबू, आयु लगभग–46 वर्ष, पुत्र–स्व0 अजीमुल्ला
2–मुशीर, आयु लगभग–41 वर्ष, पुत्र–स्व0 अजीमुल्ला
3–कल्लू, आयु लगभग–36 वर्ष, पुत्र–स्व0 अजीमुल्ला
4–मो0फरीद, आयु लगभग–26 वर्ष, पुत्र–स्व0 शब्बीर
5–मो0नफीस, आयु लगभग–23 वर्ष, पुत्र–स्व0 शब्बीर
6–श्रीमती जाहिदा (वयस्क) पत्नी–स्व0शब्बीर
निवासीगण–मोहल्ला चमरहिया कस्बा व पोस्ट जैदपुर, परगना सतरिख, तहसील नवाबगंज, जिला–बाराबंकी। पिन कोड–225414

.....अपीलार्थीगण/आपत्तिकर्ता

बनाम

मो0यासीन (मृतक दौरान इजराय/मूल आज्ञप्तिधारी)
1–अब्दुल रहमान, आयु करीब–76 वर्ष।
2–हफीजुर्रहमान, आयु करीब–69 वर्ष । पुत्रगण–स्व0 मो0 यासीन
3–अतीकुर्रमान, आयु करीब–56 वर्ष ।.....
4–मिस्बाउर्रहमान, आयु करीब–41 वर्ष ।
5–एखलाकुर्रहमान, आयु करीब–39 वर्ष। पुत्रगण–स्व0हबीबुर्रहमान
6–सलमानुर्रहमान, आयु करीब 36 वर्ष ।
निवासीगण–कस्बा व पोस्ट–जैदपुर, परगना सतरिख, तहसील नवाबगंज, जिला–बाराबंकी। पिन कोड– 225414

.....विपक्षीगण/आज्ञप्तिधारी

निर्णय

1. प्रस्तुत नियमित दीवानी अपील अन्तर्गत आदेश 41(1) सपठित आदेश 21 नियम 103 सी0पी0सी0 अपीलार्थीगण बाबू आदि की ओर से प्रकीर्ण वाद संख्या–193/2024 बाबू आदि बनाम यासीन आदि में विद्वान सिविल जज(जू0डि0), रामसनेहीघाट, कोर्ट संख्या 14, बाराबंकी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनाँकित 30.10.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत निर्णय के द्वारा अपीलार्थीगण/आपत्तिकर्तागण का प्रार्थनापत्र क–3 अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Writ-C No.12553 of 2025 Mohd.Fareed vs.

Digitally signed by VINAY KUMAR SINGH
Date: 2026.03.26 15:23:54 IST
Reason: Document Owner
Location: ADJ,Court No.01,Barabanki.

Abdul Rahman And 4 Others में पारित आदेश दिनांकित 04 फरवरी 2026 में अपील दो माह के अन्दर निर्णीत करने हेतु आदेशित किया गया है। तदनुसार प्रस्तुत वाद का निस्तारण वरीयता के आधार पर किया जा रहा है।

3. प्रस्तुत नियमित दीवानी अपील संख्या–83/2025 के **आधार अपील** इस प्रकार हैं कि–

1– विचारण न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में यह अवधारित किया है कि अपीलार्थी की गाटा संख्या 1373 पंजीकृत विक्रयपत्र 30.03.1970 द्वारा हासिल की गयी है। अपीलार्थीगण की सम्पत्ति और विक्रीत सम्पत्ति के मध्य चौहद्दी की भिन्नता है। दोनो भूमियां अलग अलग हैं अर्थात् विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद अपीलार्थीगण की सम्पत्ति को इजराय की आड़ में क्षतिग्रस्त न किया जाये इस याचना को अस्वीकार करने में भारी भूल की है।

2– विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणिक मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों को समझने व सराहने मे भारी भूल की है।

3–विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करने में न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है।

4– विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करने में तात्विक अनियमितता कारित किया है।

5– विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करने में अपने अधिकारो के प्रयोग में कमी कारित की गयी है।

6– विचारण न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धांतो, नैसर्गिक न्याय का निर्णय किये जाने में उल्लंघन किया है।

7– विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा याचित अनुतोष ना प्रदान कर न्यायिक त्रुटि कारित किया है।

8– अतः विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब करके आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.10.2025 मय डिक्री निरस्त करते हुये अपीलार्थीगण द्वारा प्रकीर्ण वाद में याचित अनुतोष को प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कथन संक्षेप मे निम्नवत् हैं–

इजराय वाद सं0–8/1983 पक्षकार मो० यासीन बनाम सरकार विचाराधीन सम्बन्धित विचारण न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट नं0–13 बाराबंकी रहा जिसमें तृतीय पक्षकार के तौर पर अपीलार्थीजन ने आदेश 21

नियम 97, 99, 101 सी०पी०सी० के तहत आपत्ति प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आपत्ति का संज्ञान लेकर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 19.07.2024 पारित कर कार्यालय को निर्देशित किया गया कि आपत्ति को इजराय वाद से अलग कर स्वतंत्र रूप से प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज किया जाये। आदेश अनुपालन में अपीलार्थीजन द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को प्रकीर्ण वाद सं0–193/2024 के रूप में विचारण हेतु दर्ज किया गया।

प्रकीर्ण वाद में अपीलार्थीजन ने मूल रूप से कथन किया कि बाबू, मुशीर, कल्लू के पिता व मो० फरीद, मो० नफीस के बाबा तथा श्रीमती जाहिदा के ससुर अजीमुल्ला पुत्र जहांगीर निवासी कस्बा जैदपुर, मोहल्ला चमरहिया बाजार, परगना सतरिख, तहसील नवाबगंज, जिला–बाराबंकी ने गाटा सं0–1373 क्षेत्रफल 0.038 हे0 स्थित ग्राम जैदपुर, अंदर टाउन एरिया, परगना सतरिख, तहसील नवाबगंज, जिला–बाराबंकी को तत्समय दर्ज खतौनी काश्तकारों से जरिए पंजीकृत विक्रय–पत्र 30.03.1970 उक्त भूमि पर स्थित एक किता मकान पोख्ता जो मुकम्मल तामीर नहीं रहा अंदर टाउन एरिया मोहल्ला चमरहिया बड़ी बाजार, कस्बा जैदपुर, परगना सतरिख, तहसील नवाबगंज, जिला–बाराबंकी जिसकी वर्तमान चौहद्दी निम्न है को क्रय करके मालिक काबिज हुए और जीवन पर्यत्न रहें।

पूरब– मकान मय दुकान हत्तू चक्की वाले,
पश्चिम– तारिक बेकरी की जमीन बादहू मकान इस्लामुद्दीन,
उत्तर– इण्टरलाकिंग फुटपाथ बादहू जैदपुर सिद्धौर रोड,
दक्षिण– मकानियत फकीर मोहम्मद आदि।

उक्त जमीन क्रय करने उपरान्त अविलम्ब अजीमुल्ला ने उक्त सम्पत्ति पर दुकाने व मकानियत मय गैलरी निर्मित कर निकास इण्टरलाकिंग फुटपाथ बादहू जैदपुर सिद्धौर रोड पर कायम किया, जीवन पर्यत्न उक्त जमीन पर निर्मित मकानियत में अजीमुल्ला बतौर काबिज व स्वामी की हैसियत से परिवार सहित निवास करते रहे। अजीमुल्ला के स्वर्गवास के उपरान्त बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा बतौर विधिक वारिस शान्तिपूर्ण ढंग से निर्विवाद निवास करते चले आ रहे हैं। मकानियत कायम हुए लगभग 52 वर्ष हो चुके हैं मकानियत जर्जर स्थिति में है परन्तु आर्थिक विपन्नता के कारण बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा उसमें निवास कर रहे हैं समयानुसार, आवश्यकतानुसार, आर्थिक

हैसियत अनुसार अविलम्ब पुर्ननिर्माण हेतु प्रयासरत हैं।

अब्दुल रहमान, हफीजुर्रहमान, अतीकुर्रहमान के पिता व मिस्बाउर्रहमान, एखलाकुर्रहमान, सलमानुर्रहमान के बाबा मो० यासीन पुत्र छेदा निवासी कस्बा जैदपुर, परगना सतरिख, तहसील नवाबगंज, जिला–बाराबंकी ने कथित सम्पत्ति एक किता मकान प्लाट नं0–2793 स्थित अंदर टाउन एरिया, कस्बा जैदपुर, परगना सतरिख, तहसील नवाबगंज, जिला–बाराबंकी के सम्बन्ध में अस्तित्वविहीन चौहद्दी पूरब–परती, पश्चिम–रास्ता और परती, उत्तर–सड़क, दक्षिण–साविक खेत अब बकब्जे नजीर हसन, के सम्बन्ध में अपने को कब्जे के आधार पर मालिक कहते हुए वास्ते अनुतोष दावा दखल व दिला पाने जेरे हर्जा मूलवाद के प्रतिवादी सरकार उ०प्र० जरिए डिप्टी कमिश्नर बाराबंकी व सहायक अभियन्ता तृतीय प्राविंशयल डिवीजन, पी०डब्लू०डी० बाराबंकी के विरूद्ध मूलवाद सं0–286/1976 दायरा दिनांक 07.12.1976 पक्षकार मो० यासीन बनाम सरकार उ०प्र० आदि न्यायालय मुंसिफ, नवाबगंज बाराबंकी पर प्रस्तुत किया। ज्ञात हो कि उपरोक्त कथित सम्पत्ति के सम्बन्ध में नामित इजराय के पक्षकारान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा परिणाम स्वरूप इजराय के पक्षकारान ने उक्त वाद में कोई विशेष प्रतिरक्षा नहीं किया। परिणामतः उक्त वाद विचारण न्यायालय तृतीय अति० मुंसिफ, बाराबंकी के न्यायालय द्वारा 07.08.1982 को वादी द्वारा अंकित कथित अस्तित्वविहीन चौहद्दी के सम्बन्ध में डिक्री हो गया।

मूलवाद सं0–286/1976 में नामित मूलवाद के प्रतिवादीजन ने रेगुलर सिविल अपील 78/1982 प्रस्तुत किया और अपीलीय न्यायालय का ध्यानाकर्षण इस ओर किया कि उक्त वाद में ग–30 अमीन सर्वे आख्या मय स्थल नक्शा ग–30/4 दिनांकित 02.09.1979 भी प्रस्तुत है जिसका माननीय विचारण न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया है, अंकित चौहद्दी की भूमि अस्तित्व में ही नहीं है। फलतः माननीय अपीलीय न्यायालय ने माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 07.08.1982 को मोडीफाइ करते हुए आदेश पारित किया कि प्रश्नगत गाटा सं0–2793 के सम्बन्ध में प्रस्तुत अमीन आख्या 30/1 के साथ संलग्न नक्शा 30/4 में अंकित क, ख, ग, घ, के अंदर की सम्पत्ति के सम्बन्ध में मूलवाद के प्रतिवादीजन को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त निर्णय 02.03.1983 को पारित

हुआ। अब्दुल रहमान, हफजीजुर्रहमान, अतीकुर्रहमान, मिस्बाउर्रहमान, ए खलाकुर्रहमान, सलमानुर्रहमान के पूर्वज मोहम्मद यासीन ने अपीलीय निर्णय द्वारा माननीय विचारण न्यायालय के निर्णय को मोडीफाइ किया गया। बावजूद दूषित आशय से मो० यासीन ने विचारण न्यायालय के निर्णय 07.08.1982 के आधार पर ही इजराय वाद 08/1983 पक्षकार मो० यासीन बनाम सरकार उ०प्र० प्रस्तुत किया। जैसा कि उपरोक्त अंकित किया गया है कि मूलवाद के प्रतिवादीजन का प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा इस कारण उन्होंने इजराय में कोई प्रतीरक्षा नहीं किया। फलतः परवाना जारी हुआ। अमीन महोदय दिनांक 02.01.1992 को मौके पर गये और उन्होंने संक्षिप्तता स्थल कार्यवाही में अंकित किया कि वारन्ट चौहद्दी के अनुसार विवादित स्थल का मिलान किया तब ज्ञात हुआ कि विवादित स्थल के पूरब–दक्षिण डेढ़ गट्ठा, पश्चिम–दक्षिण ढाई गट्ठा, शेष दक्षिण भाग में मकानियत नजीर हुसैन बनी है। मैंने उक्त नक्शे से नापा तो पाया तब नजीर हुसैन व अजीमुल्ला से दखल देने को कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर न दावा है और मैं दखल दूंगा क्योंकि मेरी मकानियत मेरे खेत के नम्बर में बनी है। मौके पर विवाद की आशंका के नजर कार्यवाही समाप्त की गयी, आख्या प्रस्तुत।

उक्त प्रकार से जैसे ही उक्त मूलवाद व उससे सम्बन्धित इजराय की जानकारी अजीमुल्ला को हुई अजीमुल्ला ने प्रस्तुत इजराय वाद में माननीय न्यायालय पर घोर आपत्ति प्रस्तुत किया परन्तु माननीय न्यायालय ने इस आधार पर अजीमुल्ला की आपत्ति निरस्त कर दिया कि मूलवाद में नामित प्रतिवादी से सम्बन्धित सम्पत्ति को प्रश्नगत सम्पत्ति से बेदखल करना है, आपकी सम्पत्ति से मूलवाद व इजराय का कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु अब्दुल रहमान, हफजीजुर्रहमान, अतीकुर्रहमान, मिस्बाउर्रहमान, एखलाकुर्रहमान, सलमानुर्रहमान के पूर्वज मो० यासीन साजिश करते हुए धमकी देते रहे और एलानिया तौर पर कहते रहे कि काल्पनिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत मूलवाद 286/1976 में पारित निर्णय व उसके आध् तार पर प्रस्तुत इजराय की आड़ लेकर अजीमुल्ला का घर ढहाकर अजीमुल्ला को बेकब्जा कर अजीमुल्ला की सम्पत्ति को हड़प कर जाऊंगा। विवश होकर अजीमुल्ला द्वारा मो० यासीन के विरूद्ध मूलवाद सं0–16/1992 पक्षकार अजीमुल्ला बनाम मो० यासीन प्रस्तुत दिनांक 08.01.1992 को याचित अनुतोष मूलवाद

सं0–286/1976 में पारित निर्णय व डिक्री के परिप्रेक्ष्य में वादी अजीमुल्ला की व्यक्तिगत सम्पत्ति स्थित मोहल्ला चमरहिया कस्बा जैदपुर, परगना सतरिख, तहसील नवाबगंज, जिला–बाराबंकी में कब्जा दखल प्रतिवादी मो० यासीन को न दिलाया जावे। उक्त वाद 16/1992 की जानकारी होने पर मो० यासीन को होने पर मो० यासीन ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और कहा कि अजीमुल्ला की सम्पत्ति से मेरा कोई लेना–देना नहीं है परन्तु डिक्रीत सम्पत्ति मुझे हर हाल में लेना है और इसी परिपेक्ष्य में मो० यासीन ने विवाद बिन्दु सं०–8 विरचित कराया कि प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में वाद 286/1976 निर्णीत हो चुका है फलतः याचित अनुतोष विधि द्वारा पोषणीय नहीं है, अजीमुल्ला का वाद खारिज कर दिया जाये परन्तु माननीय न्यायालय ने उक्त विवाद बिन्दु को वादी अजीमुल्ला के पक्ष में निर्णीत किया और वाद अग्रिम विचारण हेतु प्रोसीड किया। यह कि इस दौरान मो० यासीन द्वारा प्रस्तुत इजराय 8ध1983 इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दी गयी मो० यासीन ने विचारण न्यायालय के निर्णय के अनुसार इजराय प्रस्तुत किया है जबकि विचारण न्यायालय का निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा मोडीफाइ किया जा चुका है और अपीलीय न्यायालय के अनुसार मो० यासीन ने कोई संशोधन भी नहीं किया है। फलतः इजराय अकारण त्रुटिपूर्ण विचाराधीन है, मो० यासीन की पैरवी पूर्णतया शून्य है फलतः इजराय वाद दिनांक 26.03.2011 को खारिज कर दिया जाये। आदेश 26.03.2011 के विरूद्ध यासीन ने पुनरीक्षण 40/11 प्रस्तुत किया और एक अवसर की मांग पुनरीक्षण न्यायालय से किया। पुनरीक्षण दिनांक 03.11.2011 को स्वीकार हुआ और इजराय 8/1983 पुनः अपने नम्बर पर कायम हुई परन्तु मो० यासीन द्वारा कोई पैरवी नहीं की गयी। फलतः इजराय पुनः 29.08.2012 को खारिज हो गयी और फिर उसके सम्बन्ध में मो० यासीन द्वारा कोई पैरवी नहीं की गयी। ऐसी दशा में अजीमुल्ला द्वारा प्रस्तुत मूलवाद 16/1992 का वाद कारण इजराय निरस्त होने, समाप्त होने के कारण समाप्त हो गया। फलतः अजीमुल्ला ने माननीय न्यायालय पर मूलवाद सं0–16/1992 क–142 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–23 नियम–1 (3) जा०दी० वापस लिये जाने वाद–पत्र प्रस्तुत किया और अंकित किया कि चूंकि इजराय 8ध1993 निरस्त हो गयी है फलतः वाद की आवश्यकता समाप्त हो गयी है। परिणाम स्वरूप वादी का वाद भविष्य में वाद प्रस्तुत करने, लड़ने के अधिकार को संरक्षित

करते हुए वापस किया जाये। माननीय न्यायालय द्वारा अजीमुल्ला का उपरोक्त प्रार्थना–पत्र क–142 आदेश दिनांक 09.04.2013 द्वारा स्वीकार करते हुए अंकित किया कि चूंकि निष्पादन वाद 08/1983 खारिज/निरस्त हो गया है फलतः वाद कारण भी समाप्त हो गया है। ऐसी दशा में अजीमुल्ला का प्रार्थना–पत्र दावा वापस लेने की अनुमति को स्वीकार किया जाता है। फलतः अजीमुल्ला का दावा वापस हो गया और इस प्रकार प्रश्नगत सम्पत्ति पर अजीमुल्ला निश्चिंत होकर शान्तिपूर्ण तरीके से पूर्व की भांति अनवरत काबिज दखील स्वामी होकर परिवार सहित निवास करते हुए सुकून से जीवन यापन करने लगा। दुर्भाग्यवश असमय अजीमुल्ला का स्वर्गवास हो गया। फलतः अजीमुल्ला के स्वर्गवास उनके विधिक वारिसानध्बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा उक्त सम्पत्ति के निर्विवाद रूप से मालिक काबिज चले आ रहे हैं व हैं।

पुनः इजराय वाद 08/1983 को मो० यासीन द्वारा ऐन–केन–प्रकारेण सत्य तथ्यों को छुपाकर, असत्य तथ्यों का सहारा लेकर जीवित किया गया और जिसके परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट नं0–13 बाराबंकी द्वारा अतीत की भांति परवाना दखल जारी किया गया। अमीन महोदय दिनांक 16.02.2024 को मौके पर आये उनके साथ इजराय पक्षकार अतीकुर्रहमान मौजूद रहे, इजराय पक्षकार अतीकुर्रहमान ने अमीन महोदय के बिना पूछताछ किये अग्रेसिव होते हुए बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा की सम्पत्ति को ही निष्पादन वाद से सम्बन्धित सम्पत्ति बताते हुए अविलम्ब ढहा देने और कब्जा दिलाने के लिए दबाव बनाया कहा जिसका बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा ने विरोध किया। अमीन महोदय ने न्यायालय द्वारा प्राप्त प्रपत्रों से मौके पर मिलान किया तो उपस्थित इजराय पक्षकार अतीकुर्रहमान व बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा व अन्य ग्रामवासियों के समक्ष कहा कि लगभग 46 वर्षों का लम्बा समय व्यतीत हो चुका है, मौके की स्थितियां अत्यन्त बदल चुकी हैं तथा इजराय पक्षकार अतीकुर्रहमान जिस सम्पत्ति को निष्पादन वाद से सम्बन्धित सम्पत्ति बताता है वह तीन दुकाने मय गैलरी हैं जो लगभग 50 वर्षों पुरानी हैं इससे यह भ्रम उत्पन्न होता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति निष्पादन वाद से सम्बन्धित सम्पत्ति नहीं है अर्थात निष्पादन वाद की सम्पत्ति को पहचान को लेकर अमीन महोदय

मौके पर नाप जोख करने के बावजूद भ्रमित रहे और अन्ततः यह कहते हुए इजराय पक्षकार अतीकुर्रहमान के साथ मौके से चले गये कि मौके की स्थितियां अत्यन्त बदल गई हैं, निष्पादन वाद से सम्बन्धित सम्पत्ति की पहचान संभव नहीं है फलतः निष्पादन कार्यवाही किया जाना भी विधि सम्मत नहीं है परन्तु इजराय पक्षकार अतीकुर्रहमान हर हाल में बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा की व्यक्तिगत सम्पत्ति को ढहाकर कब्जा लेने के लिए अडिग रहा परन्तु उक्त कारणवश सफल न हो सका।

अब्दुल रहमान, हफजीजुर्रहमान, अतीकुर्रहमान, मिस्बाउर्रहमान, ए खलाकुर्रहमान, सलमानुर्रहमान दिनांक 24.03.2024 को एक राय होकर मौके पर आये और बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा को एलानिया तौर पर धमकी दिया कि यदि न्यायालय द्वारा इजराय की आड़ में यदि हम लोग कब्जा न ले सके तो दबंगई के बल पर स्थानीय पुलिस को मिलाकर बिल्डिंग को ढहाकर हर हाल में कब्जा ले लेंगे। प्रश्नगत सम्पत्ति के मालिक हम लोग बाबू मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा को नहीं मानते हैं जबकि ऐसा करने का अधिकार न तो अब्दुल रहमान, हफजीजुर्रहमान, अतीकुर्रहमान, मिस्बाउर्रहमान, एखलाकुर्रहमान, सलमानुर्रहमान को रहा है और न है परन्तु अब्दुल रहमान, हफजीजुर्रहमान, अतीकुर्रहमान, मिस्बाउर्रहमान, एखलाकुर्रहमान, सलमानुर्रहमान अपनी धमकी पर अडिग रहे और एलानियां तौर पर कस्बा में झूठ व भ्रम प्रचारित कर रहे थे व हैं कि प्रश्नगत सम्पत्ति के बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा मालिक नहीं है बल्कि यह हम लोगों की सम्पत्ति है। अब्दुल रहमान, हफजीजुर्रहमान, अतीकुर्रहमान, मिस्बाउर्रहमान, एखलाकुर्रहमान, सलमानुर्रहमान के उक्त नाजायज कृत्य व उत्पन्न किये जा रहे भ्रम व दी जा रही धमकी से बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा के स्वत्त्व व आधिपत्य पर कुप्रभाव पड़ने की आशंका प्रबल हो गयी है। विवश होकर बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा ने दिनांक 27.03.2024 को कथित मृतक आज्ञाप्तिधारी के वारिसों अब्दुल रहमान, हफजीजुर्रहमान, अतीकुर्रहमान, मिस्बाउर्रहमान, एखलाकुर्रहमान, सलमानुर्रहमान के विरूद्ध अपनी उपरोक्त पैतृक सम्पत्ति दुकाने/मकानियत के विधिक संरक्षण हेतु मूलवाद सं0–335/2024 पक्षकार बाबू आदि बनाम अब्दुल रहमान आदि अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा हेतु माननीय न्यायालय श्रीमान

सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट नं0–13 बाराबंकी पर प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय ने बाबू आदि (वादीजन) की याचना पर कमीशन आख्या तलब हुई जो प्रस्तुत मूलवाद की पत्रावली में दाखिल हुई। उक्त वाद की सूचना आज्ञप्तिधारी के वारिसों अब्दुल रहमान, हफजीजुर्रहमान, अतीकुर्रहमान, मिस्बाउर्रहमान, एखलाकुर्रहमान, सलमानुर्रहमान को भली भांति हो चुकी है और यह लोग इस सच्चाई से भली भांति वाकिफ है कि बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा की पैतृक सम्पत्ति का इजराय वाद से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। बावजूद यह लोग अर्थात अब्दुल रहमान आदि चालाकी, बदनियती के तहत इजराय वाद की आड़ में विधि का दुरूपयोग करते हुए बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा की पैतृक सम्पत्ति को ढहाकर नाजायज कब्जा करने की फिराक में है। विदित हो कि उक्त वाद की सूचना अब्दुल रहमान आदि को भली भांति रही है।

उक्त मूलवाद 335/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा कमीशन आख्या तलब की गयी। कमीशन आख्या माननीय न्यायालय पर उक्त वाद में प्रस्तुत हुई। जिसके आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीजन की पैतृक सम्पत्ति के फ्रन्ट पर 6 दुकाने व एक गैलरी एकजाई एक समय में लगभग 50–55 वर्ष पूर्व (पुरानी) निर्मित छत व दरवाजा सहित जर्जर स्थिति में मौजूद हैं और जिसमें अपीलार्थीजन का पूर्वजों की भांति अनवरत शान्तिपूर्ण कब्जा, दखल चला आ रहा है व है और इन दुकानों व गैलरी के पीछे अपीलार्थीजन के अपने–अपने रिहाइश टुकड़ों–टुकड़ों में मौजूद हैं परन्तु यह दुकाने, गैलरी व रिहाइश स्वयं में एकजाई (एकरूपता) लिये हुए एक अविभाजित व्यवसायिक व आवासीय मकानियत है जो निर्विवाद रूप से अपीलार्थीजन के पूर्वजों द्वारा निर्मित की गयी और वारिस दर वारिस अपीलार्थीजन के कब्जा, दखल में चली आ रही है व है। ज्ञात हो उक्त मूलवाद 335/2024 की वाद–पत्र की प्रतिलिपि व कमीशन आख्या की प्रतिलिपि माननीय न्यायालय पर जरिए सूची दिनांक 22.05.2024 को अपीलार्थीजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो उक्त कारणवश ही विचारण न्यायालय द्वारा अमीन आख्या प्रस्तुति इजराय वाद कागज सं0–153 में जैसा अमीन महोदय ने अंकित किया है प्रश्नगत इजराय सम्पत्ति का मौके पर घनी आबादी हो जाने के

कारण चिन्हांकन किया जाना असंभव हो गया है, मूलवाद व सम्बन्धित सर्वे आख्या व सम्बन्धित इजराय वाद में अंकित सम्पत्ति व मृतक आज्ञप्तिधारी के वारिसों द्वारा मौके पर चिन्हांकित की जा रही सम्पत्ति में घोर भिन्नता है जो सम्पत्ति आज्ञप्तिधारी के वारिसों द्वारा चिन्हांकित की जाती है वह लगभग पचास वर्षों पुरानी बनी दुकाने व मकानियत है जिसमें बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा का शान्तिपूर्ण कब्जा, दखल है। इस कारण इजराय का अनुपालन संभव नहीं है और उक्त के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा इजराय वाद में पुनः परवाना आदेश 12.03.2024 के तहत जारी किया गया जिसके परिपेक्ष्य में भी अमीन महोदय ने स्थल इजराय वाद में आख्या ग–157 प्रस्तुत कर पूर्व में प्रस्तुत स्थल कार्यवाही/आख्या के तथ्यों व विवशपूर्ण परिस्थितियों को दोहराते हुए तथ्य अंकित किया है जो सर्वथा सत्य हैं। सम्बन्धित मूलवाद व उससे सम्बन्धित सर्वे आख्या व उससे सम्बन्धित प्रस्तुत इजराय वाद में अंकित सम्पत्ति कथित रूप से अनगढ़ तरीके से निर्मित एक दुकान व दुकान के सामने रखी अस्थायी टीन शेड है जिसके चारो ओर कथित रूप से आज्ञप्तिधारी की निर्विवाद भूमि है परन्तु ऐसी कोई सम्पत्ति जहां पर आज्ञप्तिधारी के वारिसों द्वारा चिन्हांकन किया जा रहा है वहां पर नहीं है बल्कि बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा की जिस सम्पत्ति अर्थात दुकाने मय मकानियत गैलरी आदि को आज्ञप्तिधारी के वारिसों द्वारा इजराय सम्पत्ति चिन्हांकित की जा रही है वह इजराय की उक्त सम्पत्ति के सर्वथा विपरीत है क्योंकि बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा की सम्पत्ति रोड साइड बनी दुकाने व पीछे मकानियत मय गैलरी है। इससे स्पष्ट है कि आज्ञप्तिधारी अपने जीवनकाल में व उसके वारिसजन का कोई छुपा एजेन्डा है और वह सत्य के साथ स्वच्छ हाथों से न्यायालय पर उपस्थित नहीं है। इजराय से सम्बन्धित वाद–पत्र में विवरणित विवादित सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में सर्वे आख्या उपलब्ध है और जो ही डिक्रीत हुआ परन्तु बाद में अपीलीय न्यायालय द्वारा वाद–पत्र में विवरणित सम्पत्ति को इग्नोर करते हुए सर्वे आख्या ग–30 के साथ संलग्न नक्शा नजरी ग–30ध्4 में अंकित अक्षर क, ख, ग, घ, से दर्शित परिधि के अंदर अनगढ़ तरीके से निर्मित एक दुकान व उस पर उसके सामने रखी टीन शेड विवादित विषय मानी गयी और उक्त दुकान व उसके सामने स्थित टीन शेड को ही हटाये जाने का वाद अपीलीय न्यायालय द्वारा डिक्रीत

हुआ। इससे यह स्पष्ट एलानिया रूप से सर्वविदित है कि जो जरिए मेन्डेटरी अनुतोष आज्ञप्तिधारी द्वारा वाद–पत्र में डिक्रीत सम्पत्ति बतायी गयी और डिक्री प्राप्त की गयी है वह उपरोक्त एक दुकान है जिसे ही जरिए इजराय हटाया जाना है परन्तु जैसा कि अपीलार्थीजन द्वारा मूलवाद सं0–335/2024 में हुए कमीशन आख्या को प्रस्तुत किया गया है तथा अमीन महोदय द्वारा पूर्व में आख्या कागज सं0–153 प्रस्तुत कर अंकित किया गया है कि 'आज्ञप्तिधारीजन द्वारा चिन्हांकित सम्पत्ति इजराय प्रपत्रों में अंकित सम्पत्ति से सर्वथा भिन्न है।' अर्थात जैसा उपरोक्त अंकित किया गया है कि 6 दुकाने, गैलरी, अंदर रिहाइशे सहित एक अविभाजित व्यवसायिक व आवासीय भवन अपीलार्थीजन का है जिसे ही आज्ञप्तिधारीजन के वारिसान प्रस्तुत इजराय की आड़ में हड़प कर लेने की साजिश कर रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है।

अमीन आख्या/स्थल कार्यवाही (इजराय वाद) ग–153, ग–157 तथा अपीलार्थीजन द्वारा प्रस्तुत मूलवाद सं0–335/2024 व उसकी कमीशन आख्या तथा इजराय वाद में तलब प्रस्तुत कमीशन आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में बाबू, मुशीर, कल्लू, मो० फरीद, मो० नफीस, श्रीमती जाहिदा (अपीलार्थीजन) का हित पूर्णतया निहित है यदि अपीलार्थीजन के उपरोक्त तथ्यों व प्रस्तुत कागजातों व अमीन द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की विभिन्न आख्याओं को दरकिनार किया गया तो उस पर सम्यक रूप से विचारण न किया गया तो अपीलार्थीजन की ऐसी अपूर्णनीय न्यायिक क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी दशा में न हो सकेगी। दुष्परिणामस्वरूप आज्ञप्तिधारीजन अपीलार्थीजन की पैतृक सम्पत्ति अथवा उसके अंश को इजराय की आड़ में हड़प कर जाने में सफल हो जायेंगे जो सर्वथा अनुचित व अन्यायपूर्ण व अवैधानिक व अनैर्सिंग होगा।

अपीलार्थीजन द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद में अंकित तथ्यों को दूषित आशय से आज्ञप्तिधारीजन द्वारा इन्कार किया गया परन्तु आज्ञप्तिधारीजन द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर अपीलार्थीजन की गाटा सं0–1373 व उस पर स्थित मकानियत के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। आज्ञप्तिधारीजन द्वारा प्रस्तुत आपत्ति ग–15 मय काउन्टर शपथ–पत्र ग–16 के सम्बन्ध में अपीलार्थीजन द्वारा रिज्वाइन्डर ग–26 प्रस्तुत किया गया तथा वादीजन ने अपने अभिकथनों को प्रमाणिक राजस्व अभिलेखों व अन्य कागजातों से तथा मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया गया। उक्त के बावजूद विचारण

न्यायालय द्वारा अपीलार्थीजन का प्रकीर्ण वाद 30.10.2025 को निर्णीत करते हुए खारिज कर दिया गया जिससे अपीलार्थीजन को अपूर्णनीय न्यायिक क्षति हो रही है। अपीलार्थीजन निर्णय 30.10.2025 से क्षुब्ध है। फलतः प्रस्तुत अपील प्रस्तुत कर रहे हैं।

5. प्रत्यर्थीगण/आज्ञप्तिधारी की ओर से एम0सी0सी0 वाद–193/2024 में **आपत्ति क–21** दाखिल किया जो संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, डिक्रीदारान की उक्त इजराय संख्या 08 सन 1983 मो० यासीन बनाम सरकार पिछले 41 सालों से निष्पादन हेतु लंबित है, जिसमें तृतीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांकित 29–05–2024 बिना किसी अधिकार के निष्पादन कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करने हेतु प्रस्तुत की गयी है, जो विधितः पोषणीय न होने के कारण विशेष हर्जे के साथ निरस्त होने योग्य है। प्रार्थनापत्र की धारा 1 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, डिक्रीदार का कथित गाटा संख्या 1373 से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, उक्त धारा में वर्णित चौहद्दी बिल्कुल गलत है, यदि उक्त चौहद्दी के अनुसार तृतीय पक्ष ने कोई बैनामा कराया है तो वह नल एण्ड वायड है, जिसका कोई प्रभाव उक्त इजराय कार्यवाही पर नहीं पड़ता है, अवलोकनीय है कि डिक्रीदारान के स्वामित्व वाली आबादी गाटा संख्या 2793 के उत्तर जैदपुर सिद्धौर रोड होना स्पष्ट है, इस प्रकार से तृतीय पक्ष के कथित नम्बर के उत्तर जैदपुर सिद्वौर रोड होने का कथन धोखाधड़ीपूर्ण है। प्रार्थनापत्र की धारा 2 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, विवादित भूमि से तृतीय पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, तृतीय पक्ष का मकान प्रस्तुत वाद में विवादित सम्पत्ति से मिला हुआ दक्षिण है, तृतीय पक्ष बिना किसी अधिकार के डिक्रीदारान को डिक्रीत सम्पत्ति, के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न कर रहे है, वास्तव में तृतीय पक्ष निर्णीत ऋणी के साथ मिले हुये है और इसीलिए उनके द्वारा निष्पादन में अवरोध कारित किया जा रहा है। प्रार्थनापत्र की धारा 3 इस तौर से स्वीकार है कि डिक्रीदारान के पिता मो० यासीन मूलवादी आबादी गाटा संख्या 2793 के स्वामी व काबिज रहे है जिस पर डिक्रीदारान की पुश्तैनी मकानियत रही है, निर्णीत ऋणी के द्वारा मकान व दुकान अवैधानिक तरीके से गिराने पर व उस पर कब्जा कर लेने पर मूलवाद संख्या 286 सन 1976 कब्जा दिलाये जाने के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 07–08–1982 को डिक्री हुआ, जिसके विरुद्ध निर्णीत ऋणी के द्वारा दाखिल प्रथम अपील आंशिक स्वीकार हुयी जिसके

क्रम में उक्त इजराय बाद प्रस्तुत है. जिसको निर्णीत ऋणी व तृतीय पक्ष आपस में दुरभिसंधि का बराबर निष्पादन कार्य में बिना किसी आधार के अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उक्त धारा का शेष कथन गलत है, जिससे इंकार है। तृतीय पक्ष का यह कहना बिल्कुल गलत है, कि निर्णीत ऋणी के द्वारा उक्त मामले में विशेष प्रतिरक्षा नहीं की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि लगातार निर्णीत ऋणी और तृतीय पक्ष निष्पादन कार्यवाही में बिना किसी आधार व अधिकार के अवरोध उत्पन्न करते चले आ रहे हैं, और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर निष्पादन नहीं होने दे रहे हैं। प्रार्थनापत्र की धारा 4 जिस प्रकार अंकित है, गलत है, जिससे इंकार है, मूलवादी मो० यासीन के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज गाटा संख्या 2793 का विचारण न्यायालय द्वारा सर्वे करवाकर डिक्नी साक्ष्यों के आधार पर पारित की है और उक्त डिक्री अपीलीय न्यायालय की डिक्री के कम में निष्पादित होनी है। प्रार्थनापत्र की धारा 5 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, डिक्रीदार की मिलिकियत गाटा संख्या 2793 पर तृतीय पक्ष की कोई मकानियत नहीं है, गाटा संख्या 2793 पर डिक्रीदारान की पूर्वजी मकानियत और दुकान थी, जिसके अग्र भाग को निर्णीत ऋणी के कर्मचारियों ने गिरा कर मूलवादी को बेदखल कर दिया था तब मूलवादी द्वारा कब्जे के अनुतोष हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था, सर्वे आयुक्त के द्वारा गाटा संख्या 2793 लोकेट किया गया जिस पर डिक्रीदारान को अनुतोष दिया गया है, डिक्री के बाहर कोर्ट अमीन नहीं जा सकते हैं, कोर्ट अमीन ने गलत रिर्पोट प्रेषित की थी, इसलिए न्यायालय श्रीमान जी द्वारा दोबारा निष्पादन परवाना जारी किया था। प्रार्थनापत्र की धारा 6 का यह कथन सही है कि उक्त अजीमुल्ला ने गलत तथ्यों पर निष्पादन वाद में आपत्ति प्रस्तुत की जो पोषणीय न होने के कारण निरस्त हुयी, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर स्व० अजीमुल्ला द्वारा गलत तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया था जिसके द्वारा प्रस्तुत इजराय की कार्यवाही न तो रोकी गयी थी और न ही रोकी जा सकती थी, तृतीय पक्ष द्वारा लगातार उक्त इजराय में निर्णीत ऋणी की साजिश से निष्पादन कार्यवाही में अवरोध करता चला आ रहा है, न्यायालय श्रीमान जी द्वारा पूर्व में तृतीय पक्ष की आपत्तियां निरस्त करने के बाद भी उनके द्वारा उक्त इजराय वाद में दाखिल उक्त आपत्ति न्यायालय के आदेश की अवमानना है और न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न करना है। प्रार्थनापत्र की धारा 7 का कथन जिस प्रकार से

तहरीर है, बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है. मूलवाद संख्या 16 सन 92 से प्रस्तुत इजराय की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है और न ही कभी रोकी गयी। प्रार्थनापत्र की धारा 8 का कथन कि इजराय वाद अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुरुप न होने के कारण खारिज किया गया, उसके विरुद्ध अपील स्वीकार होकर इजराय वाद पुनः प्रोसीड हुआ, सही है, उक्त धारा का शेष कथन गलत है, जिससे इंकार है, तृतीय पक्ष का डिक्रीत सम्पत्ति से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही निष्पादन वाद में उनको आपत्ति करने का कोई अधिकार है, मूलवाद संख्या 16 सन 1992 के वादी ने इजराय वाद के अनुपस्थित में निरस्त होने के आधार पर यदि वाद वापस ले लिया है, उसका कोई प्रभाव प्रस्तुत इजराय कार्यवाही पर नहीं है, तृतीय पक्ष बिना किसी आधार के इजराय वाद में डिक्रीत सम्पत्ति के सम्बंध में विवाद कर अनावश्यक रुप से निष्पादन कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि प्रस्तुत इजराय में तृतीय पक्ष की आपत्तियां स्वीकृत रुप से निरस्त हो चुकी है। प्रार्थनापत्र की धारा 9 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, तृतीय पक्ष की अनुचित पैरवी के चलते ही कोर्ट अमीन महोदय ने विधि विपरीत आख्या न्यायालय के समक्ष लगायी थी जो न्यायालय द्वारा ओवररुल की जा चुकी है, उक्त इजराय में परवाना कब्जा दिलाये जाने का जारी हो रहा है, जिसको कोर्ट अमीन द्वारा विपक्षियों से अनुचित लाभ लेकर निष्पादित नहीं कराया जा रहा है और भ्रामक रिपोर्टे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं, अवलोकनीय है कि डिक्रीत जमीन की पहचान सर्वे रिपोर्ट से स्पष्ट है, विवादित स्थल में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, डिक्रीदार का वाद उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध डिक्रीत है, लेकिन निष्पादन न होने से डिक्रीदार को असहनीय पीड़ा हो रही है। प्रार्थनापत्र की धारा 10 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, कथित घटना काल्पनिक है, वास्तव में उक्त इजराय वाद में न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 12–03–2024 को कोर्ट अमीन की आख्या ग–153 को ओवररुल करते हुये कोर्ट अमीन को निर्देशित किया कि निष्पादन कार्यवाही नियमानुसार फुल फोर्स से सम्पादित करें, उसके बाद तृतीय पक्ष ने काल्पनिक वादकारण दिखाकर कथित मूलवाद संख्या 335 सन 2024 प्रस्तुत किया और जिस शीघ्रता से उक्त वाद में कोर्ट अमीन द्वारा विधि विरुद्ध एक पक्षीय कमीशन सम्पादित किया वह भी काबिले तारीफ है और इस बात की पुष्टि करता है कि उनके द्वारा जानबूझकर उक्त

इजराय का निष्पादन नहीं कराया जा रहा है और भ्रामक आख्यायें निष्पादन न करने के लिए दी जा रही है। मूलवाद संख्या 335 सन् 2024 के द्वारा उक्त निष्पादन कार्यवाही को रोकने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है वह विधिसंगत नहीं है, मूलवाद संख्या 335 सन् 2024 का कोई सम्मन नोटिस आज तक डिक्रीदारान को नहीं मिला है। प्रार्थना पत्र की धारा 11 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है। कथित मूलवाद संख्या 335 सन 2024 की कोई जानकारी डिक्रीदार को नहीं है, उक्त वाद में कथित कमीशन आख्या प्रार्थीजन/तृतीय पक्ष और कोर्ट अमीन महोदय की दुरभिसंधि का परिणाम है, और इजराय वाद में विवादित सम्पत्ति से तृतीय पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। कोर्ट अमीन की अपने पदीय कर्तव्यों से उपेक्षा और उनकी तृतीय पक्ष के साथ घनिष्ठता के कारण ही इजराय वाद संख्या 08 सन 1983 का निष्पादन पूर्ण नहीं हो पा रहा है, और डिक्रीदार को अपूर्णीय क्षति उठानी पड़ रही है। प्रार्थना पत्र की धारा 12 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, डिक्रीत भूमि मौके पर चिन्हांकित है, वास्तव में तृतीय पक्ष के द्वारा कराये गये फर्जी व कूटरचित बैनामें में उत्तर की चौहददी में सड़क दर्शायी गयी है, जबकि उक्त सड़क के दक्षिण डिक्रीदार की विवादित भूमि बादहू तृतीय पक्ष की भूमि थी, इस बात की पूरी जानकारी तृतीय पक्ष को है केवल निष्पादन कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करने हेतु तृतीय पक्ष द्वारा विधि विरुद्ध और आधारहीन कथन किये जा रहे हैं, डिक्रीत सम्पत्ति पर डिक्रीदारान का कब्जा जरिये निष्पादन न्यायहित में अतिशीघ्र दिलाया जाना आवश्यक है। कोर्ट अमीन आख्या ग–157 तृतीय पक्ष की साजिश का परिणाम है जो न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने का एक और प्रयास है, कोर्ट अमीन की आख्या ग–157 के विरुद्ध डिक्रीदार ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की है और मामलें की परिस्थितियों को देखते हुये इजराय का निष्पादन वर्तमान कोर्ट अमीन के अलावा किसी अन्य न्यायालय के बेलिफ से करवाये जाने का अनुरोध किया गया है, उक्त सबंध में इजराय वाद में न्यायालय द्वारा पारित आदेश 12–03–2024 अवलोकनीय है, जिसके द्वारा न्यायालय द्वारा कोर्ट अमीन की आख्या को ओवररुल करते हुये अतिशीघ्र निष्पादन कार्यवाही पूर्ण किये जाने का आदेश पारित किया था। प्रार्थनापत्र की धारा 13 बिल्कुल गलत है। डिक्रीदार को विवादित सम्पत्ति न्यायालय द्वारा मामले का परीक्षण कर डिक्रीदार को डिक्रीत किया है, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तृतीय पक्ष

की टिप्पणी न्यायालय की अवमानना है। उक्त इजराय में पहले आपत्तिकर्ता के बाबा अजीमुल्ला ने आपत्ति प्रस्तुत कर निष्पादन कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न किया, उनकी आपत्ति खारिज होने के बाद अवैधानिक तरीके से अजीमुल्ला का पुत्र शब्बीर उक्त इजराय कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करने आया और अब उक्त अजीमुल्ला के वारिसान और शब्बीर के वारिसान निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करने आये हैं, तृतीय पक्ष का कृत्य सदभावी नहीं है, लगातार इजराय कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न कर न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की जा रही है। प्रार्थनापत्र की धारा 14 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है। तृतीय पक्ष के द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्णय की आधारहीन विवेचना करना, न्यायालय की अवमानना है, निष्पादन वाद गुण–दोष के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री के सम्बंध में है, और विवादित गाटा संख्या 2793 में डिक्रीदार का स्वामित्व निर्णीत किया गया है, इजराय में डिक्रीदार को डिक्रीत सम्पत्ति पर कब्जा दिलाया जाना है, तृतीय पक्ष को कोई अधिकार नहीं बनता है कि वह निष्पादन कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करें, विवादित गाटा संख्या 2793 में तृतीय पक्ष का कोई स्वमित्व या अधिकार नहीं है। प्रार्थनापत्र की धारा 15 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन न होने देना यह स्पष्ट करता है कि तृतीय पक्ष कितने प्रभावशाली हैं जो कि बिना किसी आधार के विवादित भूमि के चिन्हांकन की आपत्ति कर न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करते आये है और न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष इस हिम्मत के साथ अभिलिखित करना कि जब जब सम्बन्धित अमीनों को परवाना इजराय जारी हुए सम्बन्धित अमीनों को कभी कोई सफलता नहीं मिलीश न्याय की विफलता है, डिक्रीदार 41 सालों से सरकार के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करा रहे हैं और अब तक निष्पादन न हो पाना डिक्रीदार के साथ अन्याय है। प्रार्थनापत्र की धारा 16 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, डिक्रीदार को डिक्रीत सम्पत्ति में तृतीय पक्ष का कोई हित निहित नहीं है, डिक्रीत सम्पत्ति गाटा संख्या 2793 मूल वादी मो० यासीन के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख रही है और उसमें मूल वादी का मकान होना भी अभिलेखित रहा है, गाटा संख्या 2793 में तृतीय पक्ष अपना कोई स्वामित्व आज तक नहीं दर्शित कर पाये हैं, विवादित स्थल को न्यायालय द्वारा सर्वे आख्या से मूलवाद में लोकेट कराय जा चुका है, विवादित स्थल चौहददी के आधार पर व राजस्व मैप के आधार पर व सर्वे

आख्या व उसके साथ संलग्न मानचिन के आधार पर अपनी जगह पर मौजूद होना स्पष्ट है, डिक्रीदार को डिक्रीत सम्पत्ति में तृतीय पक्ष का कोई विधिक हक व अधिकार नहीं है, निष्पादन डिक्रीत सम्पत्ति का होना है, जिससे तृतीय पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, इजराय वाद में प्रस्तुत आख्या ग–153, ग–157 व कथित मूलवाद संख्या 335 सन 2024 की कमीशन आख्या कोर्ट अमीन महोदय व तृतीय पक्ष की साजिश, दुरभिसंधि का परिणाम है, उक्त त्रुटिपूर्ण, विधि विरुद्ध, साजिशी आख्या के आधार पर डिक्रीत भूमि का निष्पादन नहीं रोका जा सकता है। प्रार्थना पत्र की धारा 17 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, तृतीय पक्ष का डिक्रीत सम्पत्ति से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, तृतीय पक्ष के द्वारा आपत्ति गलत तथ्यों पर, विधि विरुद्ध ढंग से प्रस्तुत की गयी है जो निरस्त होने योग्य है। तृतीय पक्ष बाबू आदि की आपित्त विधि विरुद्ध एवं गलत तथ्यों पर आधारित है, जो विधितः पोषणीय नहीं है और न ही आपत्ति में याचित अनुतोष प्रस्तुत मामलें में दिया जा सकता है, आपत्ति तृतीय पक्ष उक्त जबाब के आधार पर निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त आधार पर तृतीय पक्ष बाबू आदि की आपत्ति दृष्टांतव्य हर्जे के साथ निरस्त कर, निष्पादन कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की कृपा की जावे।

6. आपत्तिकर्ता/अपीलार्थीगण की ओर से **रिज्वाइंडर शपथपत्र** प्रस्तुत कर कथन किया है कि, प्रार्थीजन द्वारा अपनी जिस गैर विवादित पैतृक मकानियत के संरक्षण हेतु प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत किया गया है। उसके सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा अपने जवाबध्काउंटर शपथ–पत्र की धारा–3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि श्तृतीय पक्ष का मकान प्रस्तुत वाद में विवादित सम्पत्ति से मिला हुआ दक्षिण है। वास्तव में तृतीय पक्ष के द्वारा कराये गये फर्जी व कूटरचित बैनामे में उत्तर की चौहद्दी में सड़क दर्शायी गयी है जबकि उक्त सड़क के दक्षिण डिक्रीदार की विवादित भूमि बादहू तृतीय पक्ष की भूमि थी। उक्त स्वीकारोक्ति से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष पूर्णतया स्पष्ट परिलक्षित है कि जिस पैतृक इकलौती मकानियत हेतु प्रार्थीजन द्वारा प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत किया गया वह प्रार्थीजन की गैर विवादित व्यक्तिगत सम्पत्ति रही व है जिसके प्रार्थीजन अपने पूर्वजों की भांति मालिक काबिज चले आ रहे हैं व है। हास्यास्पद विषय है कि विपक्षी मो० यासीन के वारिसों द्वारा जो जवाब/काउन्टर शपथ–पत्र अंकित किया गया है उसकी धारा–13 में

अनर्गल रूप से अंकित किया गया कि जो बैनामा प्रार्थीजन के पूर्वजों के पक्ष में गैर विवादित मकानियत के सम्बन्ध में हुआ है जो दाखिल पत्रावली भी है उसमें गलत तरीके से चौहद्दी में उत्तर ओर सड़क दर्शायी गयी है। ज्ञात हो उक्त बैनामा इजराय से सम्बन्धित मूलवाद के प्रस्तुत होने के पूर्व का है। वादीजन द्वारा मूलवाद में विवादित सम्पत्ति की गाटा के साथ–साथ चौहद्दी भी अंकित की गयी परन्तु अपीलीय न्यायालय ने चौहददी को दरकिनार कर गाटा के सम्बन्ध में सर्वे आख्या को आधार मानकर वाद डिक्रीत किया परन्तु सर्वे आख्या के स्थल मानचित्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूलवाद की कथित विवादित भूमि गाटा सं० 2793 के मध्य में एक दुकान थी इस तथ्य को मो० यासीन के वारिसों ने अपने जवाब/काउंटर शपथ पत्र की धारा 6 में स्वीकार किया कि 'गाटा सं० 2793 पर डिक्रीदारान की मकानियत व दुकान थी जिसके अग्र भाग को निर्णीत ऋणी के कर्मचारियों ने गिराकर मूल वादी को बेदखल कर दिया था तब मूल वादी के द्वारा कब्जे के अनुतोष हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था।' उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इजराय से सम्बन्धित सम्पत्ति कोई ऐसी सम्पत्ति है जिसके चारो ओर रिक्त भूमि मध्य में एक दुकान है, जिसका ही कब्जा दखल वादीजन को प्राप्त होना है परन्तु जैसा प्रार्थीजन द्वारा प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत कर कहा गया है कि प्रार्थीजन की बैनामे पर बनी रिहाइश जिसमें एक समान रूप से गैलरी सहित 6 अदद दुकाने व पीछे मकानियत एक ही बार में छत डालकर छज्जा सहित लगभग 50 वर्षों पूर्व अर्थात वाद प्रस्तुत होने से पूर्व निर्मित चली आ रही है। प्रार्थीजन के पास पूरे भारत वर्ष में उक्त मकानियत के अतिरिक्त अन्य कोई मकानियत नहीं है जिसके प्रार्थीजन मालिक काबिज चले आ रहे हैं व हैं। उक्त तथ्यों की पुष्टि जैसा कि प्रार्थीजन द्वारा आज्ञप्तिधारीजन आदि के विरूद्ध जो मूलवाद 335/2024 पक्षकार बाबू बनाम अब्दुल रहमान अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा कमीशन आख्या तलब की गयी। कमीशन आख्या में प्रार्थीजन द्वारा कहे गये उपरोक्त तथ्यों की स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थीजन द्वारा उक्त मूलवाद का वाद पत्र व कमीशन आख्या जरिए सूची माननीय न्यायालय पर दाखिल की गयी है। जवाब मय काउन्टर शपथ पत्र में आज्ञप्तिधारीजन अर्थात विपक्षीजन ने इस तथ्य पर विशेष जोर दिया है कि सिद्धौर जैदपुर रोड के दक्षिण सटी हुई विवादित भूमि है जिसके बाद प्रकीर्ण वाद में प्रार्थीजन द्वारा कही गयी

उनकी रिहाइश विवादित भूमि से प्रार्थीजन का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीजन का स्पष्ट कथन है कि प्रार्थीजन के मकानियत व रोड के मध्य में फुटपाथ, इण्टरलाकिंग मौजूद है, इजराय वाद से सम्बन्धित सम्पत्ति का मौके पर कोई नामोनिशान नहीं है और न कभी रही है और न है। चूंकि सिद्धौर जैदपुर रोड, जैदपुर मुख्य आबादी के मध्य से गुजरी है जिसके दक्षिण सैकड़ों सम्पत्तियां सैकड़ों कस्बावासियों की प्रार्थीजन की ही भांति स्थित है परन्तु प्रार्थीजन को कमजोर, दुर्बल, असहाय मानकर आज्ञप्तिधारीजन/प्रार्थीजन की पैतृक मकानियत को मौके पर आधारहीन तरीके से चिन्हांकित कर डिमोलिश कर कब्जा दखल लेने के लिए अडिग रहते हैं व हैं जो सर्वथा अनुचित है। जिस सर्वे आख्या के आधार पर आज्ञप्तिधारीजन इजराय कार्यवाही द्वारा दखल चाहते हैं वह सर्वे आख्या लगभग 40–45 वर्षों पूर्व जैदपुर कस्बे में जैदपुर–सिद्धौर रोड के उत्तर किसी के भी सम्बन्ध में हुई होगी, तत्समय लोकेशन हुआ होगा परन्तु इतनी लम्बी समयावधि उपरान्त अनेकों परिवर्तन व निर्माण के परिणामस्वरूप वर्तमान में सर्वे आख्या के स्थल मानचित्र अनुसार सम्पत्ति की तलाश किया जाना व्यवहारिक रूप से कतई संभव नहीं है। इस तथ्य से आज्ञप्तिधारीजन भी वाकिफ रहे हैं व हैं और इसी कारणवश आज्ञप्तिधारीजन प्रार्थीजन की पैतृक मकानियत को डिमोलिश कर कब्जा लेने की नाजायज कुचेष्टा कर रहे हैं। आज्ञप्तिधारीजन द्वारा जवाब व शपथ–पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया जाना कि इजराय वाद से सम्बन्धित प्रार्थीजन की सम्पत्ति नहीं है। प्रार्थीजन की सम्पत्ति का इजराय वाद से कोई लेना–देना नहीं है। ऐसी दशा में प्रार्थीजन द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की याचना को स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

7. आपत्तिकर्ताजन/तृतीय पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में ए०डब्लू० 1 मो० फरीद, ए०डब्लू० 2 शमीम मोहम्मद के साक्ष्य मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

8. डिक्रीदार की ओर से अपने कथन के समर्थन में ओ०पी०डब्लू ०1 अतीकुर्रहमान, ओ०पी०डब्लू० 2 ताज मोहम्मद, ओ०पी०डब्लू० 3 मो० हारून के साक्ष्य मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

9. आपत्तिकर्ताजन/तृतीय पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची ग–27 से नकल वाद पत्र ग–28/1 ता ग–28/4, नकल निर्णय दिनांकित

07.08.1982 ग–29/1 ता ग–29/9, डिक्री दिनांकित 26.08.1982 ग–30/1 ता ग–30/3 नकल अपीलीय निर्णय दिनांकित 02.03.1983, ग–31/1 ता ग–31/3, सर्वे आख्या ग–32/1 ता ग–32/4 तथा सूची ग–20/1 से छायाप्रति मूलवाद सं० 335/2024 ग–20/2 ता ग–8, छायाप्रति कमीशन आख्या व स्थल कार्यवाही ग–20/9 ता ग–20/10 ता ग–20/12, अमीन आख्या ग–20/13 ता ग–20/15 अमीन आख्या ग–20/16 ता ग–20/18 तथा सूची ग–56 से मानचित्र ग–57 तथा सूची ग–65/1 से नकल वाद पत्र ग–65/2 ता ग– 65/7, कमीशन आख्या ग–65/8 ता ग–65/11, जलकर बिल ग–65/12 ता ग– 65/13, विद्युत बिल ग–65/14 तथा सूची ग–53/1 से स्थल फोटोग्राफ्स ग–54/2 ता ग–54/3 तथा सूची ग–170 से षट्वार्षिक खतौनी ग–171, नकल विक्रयपत्र ग–172/1 ता ग–172/4 नक्शा ग– 172/5 नकल वाद पत्र ग– 173/1 ता 173/3, नकल आदेश दिनांकित 26.03.2011 ग–174/1 ता ग–174/2, नकल प्रार्थना पत्र ग–175, नकल आदेश दिनांकित 09.04.2013 ग–176 प्रस्तुत किये गये हैं।

10. डिक्रीदार/विपक्षीजन की ओर से सूची ग–58 से सर्वे रिपोर्ट सत्य प्रतिलिपि ग–53/1 ता ग–53/4 प्रस्तुत किये गये हैं।

11. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा अवधारण हेतु निम्न बिन्दु विरचित किए गएः –

1. क्या आपत्तिकर्ताजन के पास वादग्रस्त सम्पत्ति गाटा सं० 2793 क्षेत्रफल 0.038 हे0 स्थित्त ग्राम जैदपुर, अंदर टाउन एरिया, परगना सतरिख, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में कोई स्वतंत्र अधिकार स्वामित्व या अधिकार है अथवा नहीं?

2. क्या आपत्तिकर्ताजन द्वारा की गयी आपत्ति वास्तविक या Bonafide है?

3. क्या आपत्तिकर्ताजन कोई अनुतोष पाने के अधिकारी हैं?

12. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन करने एवं पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क श्रवण करने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 30.10.2025 के द्वारा अपीलार्थीगण का प्रार्थनापत्र क–3 अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 निरस्त किया गया।

13. बहस के पूर्व विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा न्यायालय के

समक्ष यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तुत मामले में किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है और ना ही कोई कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य वरिष्ठ न्यायालय में लम्बित ही है। प्रस्तुत अपील की बहस सुन कर निर्णय पारित करने में कोई विधिक अड़चन अथवा बाधा नहीं है। तद्नुसार उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा अपीलीय न्यायालय एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

14. आक्षेपित निर्णय व आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार अपील एवं उसपर प्रस्तुत आपत्ति एवं प्रतिआपत्ति तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष अवधारण हेतु निम्नलिखित **अवधार्य प्रश्न** हैं–

1– क्या अपीलार्थीगण का प्रश्नगत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 सी0पी0सी0, पूर्व में उसी के द्वारा इजरा वाद में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ग–97 अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 सपठित धारा 151 जा0दी0 जिसे कि अजीमुल्ला के कायम मुकामान मो0शब्बीर, बाबू, मुशीर व कल्लू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, के लम्बित होने के कारण; एवं अजीमुल्ला द्वारा ही आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 के अन्तर्गत पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र क–9 जोकि दिनांक 07.09.1991 को खारिज किया गया था, के कारण विधितः पोषणीय ना होने के कारण, निरस्त किये जाने योग्य है?

2– क्या वादी अपने डिक्रीत प्लाट संख्या 2793 की आड़ में तृतीय पक्ष/अपीलार्थी की भिन्न गाटा संख्या 1373 को इजराय वाद के जरिये क्षतिग्रस्त एवं प्राप्त करना चाहता है?

उभय पक्ष के मध्य यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वादी/प्रत्यर्थी की गाटा संख्या–2793 एवं प्रर्थीगण/अपीलार्थी की गाटा संख्या–1373 जिसे कि उसने विक्रयपत्र दिनांकित 30.03.1970 के जरिये हासिल करना बताया है, दोनो सम्पत्ति भिन्न–भिन्न हैं एवं उनकी चौहद्दी भी भिन्न–भिन्न है।

निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या–1

15.1 अवधार्य प्रश्न संख्या–1 इस आशय का विरचित है कि, क्या अपीलार्थीगण का प्रश्नगत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 सी0पी0सी0, पूर्व में उसी के द्वारा इजरा वाद में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ग–97 अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 सपठित धारा 151 जा0दी0 जिसे कि अजीमुल्ला के कायम मुकामान मो0शब्बीर, बाबू, मुशीर व कल्लू द्वारा प्रस्तुत

किया गया था, के लम्बित होने के कारण; एवं अजीमुल्ला द्वारा ही आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 के अन्तर्गत पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र क–9 जोकि दिनांक 07.09.1991 को खारिज किया गया था, के कारण विधितः पोषणीय ना होने के कारण, निरस्त किये जाने योग्य है?

15.2 प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से प्रस्तुत नियमित इजरा वाद संख्या–08/1993 में अपीलार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता एवं 4 व 5 के बाबा एवं अपीलार्थी संख्या 6 के ससुर अजीमुल्ला द्वारा एक प्रार्थनापत्र क–9 अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया था। जिसे कि न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.1991 को आपत्तिकर्ता की अनुपस्थिति में खारिज किया गया। अनुपस्थिति में खारिज उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध अजीमुल्ला द्वारा कोई भी अग्रिम कार्यवाही किसी भी न्यायालय में ना किया जाना बताया गया है। तत्पश्चात् अजीमुल्ला के कायम मुकामान उसके चार पुत्रों मो0शब्बीर, बाबू, मुशीर व कल्लू द्वारा बाद कायम मुकामी एक अन्य प्रार्थनापत्र ग–97 बतौर तृतीय पक्ष उक्त इजरा वाद में ही प्रस्तुत किया गया है, जो अभी भी अनिस्तारित है। उक्त प्रार्थनापत्र के लम्बित रहने के बावजूद भी अपीलार्थीगण द्वारा एक तृतीय प्रार्थनापत्र दिनांकित 19.05.2024 को प्रस्तुत किया गया जिसे कि न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.07.2024 के जरिये, आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 के अन्तर्गत प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया गया तथा उसी प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2025 को आदेश पारित करते हुये निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध यह हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है।

15.3 इस प्रकार स्पष्ट है कि जबकि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के पिता अजीमुल्ला के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र क–9 अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया था एवं वह प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में अजीमुल्ला के पुत्रों को यह अधिकार था कि उक्त निरस्त प्रार्थनापत्र क–9 के विरूद्ध कोई अपील आदि किसी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकें। यदि अनुपस्थिति में प्रार्थनापत्र खारिज किया गया था तो उक्त आदेश को रिकाल आदि करने के लिये भी वह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकते थे। किन्तु उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वह पुनः उक्त इजरा कार्यवाही को रोकने के लिए आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 के अन्तर्गत एक

नया प्रार्थनापत्र, प्रार्थनापत्र क–97 प्रस्तुत करें। अतः ऐसी स्थिति में उक्त द्वितीय प्रार्थनापत्र ग–97 जोकि अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया, वह भी विधितः पोषणीय नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत अपीलार्थीगण को भी यह अधिकार नहीं था कि, वह आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 के अनुतोष के सन्दर्भ में, बिना किसी विधिक उपबंधो का उल्लेख किये एक सामान्य प्रार्थनापत्र आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 के ही अनुतोष को प्राप्त करने हेतु, प्रस्तुत करें, जिसे कि विचारण न्यायालय ने आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 के अन्तर्गत प्रकीर्ण सिविल वाद के रूप में दर्ज करते हुए, आक्षेपित आदेश दिनांकित 07.09.1991 के जरिये निरस्त किया गया। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र क–9 पर पारित आदेश की मौजूदगी में प्रार्थनापत्र ग–97 भी विधितः पोषणीय नहीं है। साथ ही प्रार्थनापत्र क–9 के निस्तारण के पश्चात् एवं प्रार्थनापत्र ग–97 के उक्त परिस्थितियों मे लम्बित रहने की दशा में, अपीलार्थी/प्रार्थीगण का प्रश्नगत प्रार्थनापत्र क–3 एवं संबंधित प्रकीर्ण वाद भी विधितः पोषणीय ही नही है। अतः मात्र इसी आधार पर सम्बन्धित प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या–193/2024 विधितः पोषणीय ना होने के कारण यह प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य था।

15.4 तदनुसार अवधार्य प्रश्न संख्या–1 उत्तरित किया जाता है।

<u>निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या–2</u>

16.1 अवधार्य प्रश्न संख्या–2 इस आशय का है कि, क्या वादी अपने डिक्रीत प्लाट संख्या 2793 की आड़ में तृतीय पक्ष/अपीलार्थी की भिन्न गाटा संख्या 1373 को इजराय वाद के जरिये क्षतिग्रस्त एवं प्राप्त करना चाहता है?

16.2 प्रस्तुत मामले में जैसा कि ऊपर वर्णित भी किया गया कि, उभय पक्ष के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी की डिक्रीत सम्पत्ति गाटा संख्या 2793 जिसको कि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं आदेश में नक्शा सर्वे कमीशन कागज संख्या ग–30/4 मे अक्षर क,ख,ग,घ से चिन्हित किया गया है एवं इसी सन्दर्भ में सम्बन्धित अपील को निर्णीत किया है। विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय का विलय (merge) हो जाने के पश्चात् अपीलीय न्यायालय द्वारा सर्वे नक्शा ग–30/4, जोकि अपील का अभिन्न अंग है, ही प्रश्नगत सम्पत्ति को चिन्हित किये जाने के सन्दर्भ में अभिभावी होगा। उक्त नक्शे में प्रश्नगत गाटा

संख्या–2793 के अतिरिक्त गाटा संख्या 2792 एवं गाटा संख्या–2794 को भी अंकित किया गया है। साथ ही प्रश्नगत भूमि को क,ख,ग,घ अक्षर से चिन्हांकित किया गया है जोकि संबंधित आबादी नक्शे में दर्शित आराजी की दक्षिणी सीमा से शुरू होकर उत्तर की ओर स्थित है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त आबादी के प्लाट संख्या 2793 को छोड़कर, उक्त आबादी के नीचे स्थित प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की कृषि–भूमि गाटा संख्या 1373 क्षेत्रफल 0.038 हे0 में वादी द्वारा अथवा अमीन कमिश्नर द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य ही उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि मूल वादी/प्रत्यर्थीगण की 'आबादी भूमि' के प्लाट संख्या–2793 है जबकि आपत्तिकर्ता/तृतीय पक्ष की 'कृषि–भूमि' गाटा संख्या 1373 है अपीलार्थीगण की भूमि 'कृषि–भूमि' होने के सन्दर्भ में प्रकीर्ण वाद संख्या–193/2024 में, जो खतौनी कागज संख्या ग–171 संलग्न है वह एक षटवार्षिक खतौनी है तथा उन क्षेत्रो के लिये है, जहां जमीदारी विनाश एक्ट लागू है तथा यह खतौनी फसली 1403 की है अर्थात् यह वर्ष 1995 तक की है और जिसे कि दिनांक 05.01.1992 को जारी किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि कम से कम 1995 तक कृषि–भूमि ही थी। अतः ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय का उक्त निर्णय एवं उसका अभिन्न अंग सर्वे–नक्शा अ–30/4 एवं उसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा चिन्हित प्रश्नगत सम्पत्ति क, ख,ग,घ, जोकि आबादी के अन्तिम दक्षिणी सीमा से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर स्थित है, की मौजूदगी मे, अमीन कमिश्नर द्वारा मात्र यह लिख दिये जाने से कि प्रश्नगत भूमि चिन्हित किये जाने योग्य नही है, के आधार पर उक्त प्रश्नगत भूमि को शिनाख्त योग्य ना होना नहीं कहा जा सकता। जबकि प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में ही एक अधिवक्ता कमिश्नर द्वारा प्रश्नगत डिक्रीत भूमि का कब्जा व दखल मूल वादी/प्रत्यर्थी को न्यायालय के आदेश के अनुक्रम मे हस्तगत किया जा चुका था, किन्तु मौके पर विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण पुलिस द्वारा पुनः कब्जे को वापस दिलाया गया है। उक्त सन्दर्भ में भी प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध हैं।

16.3 अतः ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्तागण/अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 के आधार पर अपीलार्थी को उसके द्वारा वर्ष 1976 मे प्रस्तुत मूलवाद संख्या 286/1976 मो0यासीन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि, के जरिये डिक्रीत

सम्पत्ति एवं उसके फल को, इजरा वाद में प्रस्तुत आपत्ति के प्रकाश में निष्फल नहीं किया जा सकता और ना ही यह विधि की मंशा ही है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दोनो सम्पत्तियां पूर्ण रूप से भिन्न–भिन्न 'प्रकृति' की एवं भिन्न–भिन्न 'क्षेत्रफल' की एवं भिन्न–भिन्न 'स्थानों' पर स्थित होने के कारण भी आपत्तिकर्तागण/अपीलार्थीगण का यह तृतीय प्रार्थनापत्र अर्न्तत आदेश 21 नियम 97 जा0दी0 उक्त परिस्थितियों मे आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण (तृतीय पक्ष) का यह प्रार्थनापत्र क–3 स्दभावी (Bonafide) भी नही है क्योंकि समान प्रकृति के प्रार्थनापत्र के जरिये वादी प्रस्तुत इजरा वाद की कार्यवाही को वर्ष 1991 से अर्थात् 25 सालो से विलम्बित कर रहा है, जोकि ना तो न्याय की मंशा है और ना विधि की मंशा है।

16.4 तदनुसार अवधार्य प्रश्न संख्या–2 उत्तरित किया जाता है।

17. अस्तु उक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के विवेचन के आधार पर तथा उक्त दोनो अवधार्य प्रश्नों के उत्तर के पश्चात्, यह अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आक्षेपित आदेश दिनांकित 30.10.2025 को पारित करने में कोई विधिक त्रुटि अथवा क्षेत्राधिकार की अनियमितता नहीं की गयी है जिससे कि इस अपीलीय न्यायालय का हस्तक्षेप उक्त निर्णय एवं आदेश में आवश्यक हो। फलस्वरूप अपीलार्थीगण की प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है एवं विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 30.10.2025 पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार अपीलार्थीगण/आपत्तिकर्तागण द्वारा प्रस्तुत नियमित सिविल अपील संख्या–83/2025, बाबू आदि बनाम मो0यासीन आदि, जोकि विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–193/2024 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 30.10.2025 के विरूद्ध दाखिल की गयी है, खारिज की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–193/2024 में पारित उक्त निर्णय व आदेश दिनांकित 30.10.2025 पुष्ट किया जाता है।

संबंधित पक्षकारान इजरा न्यायालय के समक्ष **दिनांक 06.04.2026** को उपस्थित हो।

इस निर्णय एवं आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को संबंधित पत्रावली के साथ प्रेषित की जाये। लिपिक नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

दिनॉक : 24.03.2026

(विनय कुमार सिंह–III)
JO Code-UP 6068
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1,बाराबंकी।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनॉक : 24.03.2026

(विनय कुमार सिंह–III)
JO Code-UP 6068
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1,बाराबंकी।